



## पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN:- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं0 0135-2645249 फैक्स नं0 0135-2645249 वेबसाइट www.ptcul.org

पत्रांक: 1806/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/ ईडब्लू-4

दिनांक: 24.11.2025

विषय :- दिनांक 26 नवम्बर, 2025 को "संविधान दिवस" मनाये जाने के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/  
अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता,  
पिटकुल.....।

कृपया उपरोक्त विषयक पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 26.11.2025 को "संविधान दिवस" मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस शुभ अवसर पर "भारत का संविधान" की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी तथा भारतीय संविधान के मूल सिद्धान्तों एवं संवैधानिक मूल्यों पर प्रकाश डाला जाएगा।

अतः उपरोक्त के क्रम प्रातः 11:00 बजे अपने-अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय/मण्डल/खण्ड/उपखण्ड कार्यालयों/उपसंस्थानों के में "संविधान दिवस" मनाते हुये "भारत का संविधान" की प्रस्तावना पढ़ते हुये भारतीय संविधान के मूल सिद्धान्तों एवं संवैधानिक मूल्यों पर प्रकाश डालना सुनिश्चित करेंगे।

पिटकुल मुख्यालय "विद्युत भवन" में उक्त कार्यक्रम का आयोजन मुख्यालय भवन के भूतल में किया जाएगा।

इस अवसर पर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों (समस्त संविदा कर्मियों सहित) की प्रातः 10:50 पर उपस्थिति अनिवार्य है।

संलग्न:- "भारत का संविधान" की प्रस्तावना

(अशोक कुमार जुयाल)  
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

पत्रांक: /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/ ईडब्लू-4 तददिनांक:

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक, महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव/डॉटा एन्ट्री ऑपरेटर-निदेशक (मा0सं0)/(परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), पिटकुल देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित है कि पत्र की प्रति पिटकुल की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(अशोक कुमार जुयाल)  
महाप्रबन्धक (मा0सं0)



# भारत का संविधान

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण  
पञ्चत्व-संपन्न समाजवादी पञ्चनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक  
गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त  
नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक न्याय, विचार,  
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और उपासना की  
स्वतंत्रता;

प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए,  
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की  
एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता  
बढ़ाने के लिए

एतदसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज  
तारीख २६ नवंबर, १९४९ ई (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल  
सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा  
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, और  
आत्मोपस्थापित करते हैं।